दिनांक 04.03.2023
प्रेस विज्ञप्ति 04/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आगामी त्यौहारों के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 स्तर से समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण को आगामी त्यौहारों के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराते हुये उक्त के क्रम में आगामी त्यौहार, होलिका दहन, होली व शब–ए–बारात आदि को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सुदृढ़ पुलिस प्रबन्ध के परिप्रेक्ष्य में मुख्यतः निम्न निर्देश दिये गये हैंः–

- होलिका कमेटी, धर्मगुरूओं, आयोजकों व **पीस कमेटी** के पदाधिकारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर गोष्ठी कर लिया जाय तथा गोष्ठी में उठाये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जिला प्रशासन के सहयोग से समय से निराकरण कर लिया जाये तथा धर्मगुरूओं/आयोजकों से समन्वय रखते हुये निरन्तर संवाद रखा जाये।
- जनपद के थानों के त्यौहार रजिस्टरों का अवलोकन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय से कर लिया जाय तथा जुलूस के मार्गो पर पूर्व से फ्लैग मार्च की कार्यवाही कर लिया जाये।
- होलिका दहन के समस्त स्थानों का भ्रमण तथा आयोजकों से गोष्ठी कर ली जाये। होलिका दहन के समय अग्निशमन व्यवस्था को सक्रिय रखा जाये।
- बाजार तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आस–पास वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में नियमित **फुट पेट्रोलिंग** की जाये तथा व्यापारिक संगठनों के साथ गोष्ठी भी कर ली जाये।
- **यूपी–112** के वाहनों का व्यवस्थापन संवेदनशील मार्गो, स्थलों पर किया जाये।
- आसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय किया जाये। प्रत्येक छोटी सी छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुये तत्परतापूर्वक यथोचित विधिक कार्यवाही की जाये। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर इसकी समुचित मॉनीटरिंग की जाये।

- अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनकी समीक्षा कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- आबकारी विभाग के पदाधिकारियों एवं स्थानीय **जिला प्रशासन से समन्वय** स्थापित कर आकस्मिक चेकिंग की जाय तथा अवैध शराब बनाने वालों एवं अवैध शराब भट्ठियों तथा अन्य प्रान्त से अवैध शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय। आम जनमानस तथा शराब विक्रेताओं को निरन्तर जागरूक किया जाये।
- **सोशल मीडिया** के सभी प्लेटफार्मों की मानिटरिंग की जाये तथा सतर्क दृष्टि रखी जाये। भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्टो एवं अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुये वैधानिक कार्यवाही की जाये तथा **अफवाहों का खण्डन** किया जाये।
- भीड़–भाड़ के स्थल, बाजार एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर यथावश्यक एण्टीसेबोटाज चेकिंग तथा क्यूआरटी टीम का व्यवस्थापन करते हुये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था/अग्निशमन की व्यवस्था बनाये रखी जाय।
- नियंत्रण कक्ष/उप नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से व्यवस्थापित किये जाने तथा त्वरित सूचना प्रेषण एवं उस पर कार्यवाही की सुदृढ़ प्रक्रियायें निर्धारित की जाये।
- संवेदनशील स्थानों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, जुलूस के मार्गो एवं हॉट स्पाट्स पर पर्याप्त/सृदृढ पुलिस प्रबन्ध, **सीसीटीवी कैमरा** व मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था तथा ड्रोन कैमरे के माध्यम से चेकिंग/निगरानी सुनिश्चित की जाये।
- पूर्व से गठित शान्ति समितियों, नागरिक सुरक्षा समितियों आदि से वार्ता कर सभ्रान्त नागरिकों, शान्ति समिति/नागरिक सुरक्षा समिति के सदस्यों, डिजिटल वालिंटियर्स आदि का अपेक्षित एवं सकारात्मक सहयोग प्राप्त किया जाये।

जनपद सीतापुर/थाना तालगांव

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04.03.2023 को थाना तालगांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अंगेठा तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त छोटू उर्फ इम्तियाज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना तालगांव पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तालगांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—छोटू उर्फ इम्तियाज निवासी ग्राम मियांगज कस्बा व थाना बिसवां जनपद सीतापुर।

जनपद मेरठ/थाना सरधना

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद**

दिनांक 03.03.2023 को थाना सरधना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अटेरना पुल नगला आर्डर मोड के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मलकीत उर्फ अलकीत घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सरधना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सरधना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मलकीत उर्फ अलकीत निवासी ग्राम अटेरना थाना सरधना जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना हरिपर्वत</u>

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 03.03.2023 को थाना हरिपर्वत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आजाद पेट्रोलपम्प के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कपिल उर्फ हवसी सहित अभियुक्त 2—कलुआ 3—नसरूद्दीन उर्फ नस्सो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त कपिल उर्फ हवसी के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त नसरूद्दीन उर्फ नस्सो के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा

के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कपिल उर्फ हवसी थाना हरिपर्वत पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हरिपर्वत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—कपिल उर्फ हवसी निवासी अर्जुननगर स्थाई पता दुबरापुर पालाजोरी देवघर झारखण्ड।

2—कलुआ निवासी बिपरपुर मनिया धौलपुर राजस्थान।

3—नसरूद्दीन उर्फ नस्सो निवासी बिपरपुर मनिया धौलपुर राजस्थान।

<u>बरामदगी</u>

1—01 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना भौराकलां</u>

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.03.2023 की रात्रि थाना भौराकलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अंसारी रोड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मोहम्मद अनवर को गिरफ्तारकिया गया।।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भौराकलां पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भौराकलां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मोहम्मद अनवर निवासी पिन्ना थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर, हालपता निर्धना थाना चरथावल मुजफ्फरनगर।

जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 04.03.2023 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पवांस के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नितिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद फिरोजाबाद से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नितिन निवासी पवास थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद इटावा/थाना चौबिया

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **लूट के 07 हजार 300 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 04.03.2023 को थाना चौबिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लोहिया पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1–शरीफ 2–सूरज को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, लूट के 07 हजार 300 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना चौबिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चौबिया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शरीफ के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग एवं अभियुक्त सूरज के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना चौबिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शरीफ निवासी कुशहली थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

2–सूरज निवासी नगला भाऊ थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–लूट के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–लूट के 07 हजार 300 रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

जनपद मैनपुरी/थाना करहल

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 04.03.2023 को थाना करहल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घिरोर रोड रेलवे क्रासिंग करहल के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–गौरव 2–शिवा पुत्र स्व0 मथुरा सिंह 3–लख्मीचन्द्र 4–शिवा पुत्र पूरन सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शिवा पुत्र स्व0 मथुरा सिंह के विरूद्ध जनपद मैनपुरी, इटावा व कानपुर देहात के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त लख्मीचन्द्र के विरूद्ध जनपद मैनपुरी, फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 03 अभियोग एवं अभियुक्त शिवा पुत्र पूरन सिंह के विरूद्ध जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना करहल पर अभियोग पजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गौरव निवासी मोहल्ला बाग वृन्दावन कस्बा व थाना करहल जनपद मैनपुरी।

2—शिवा पुत्र स्व0 मथुरा सिंह निवासी विनायकपुर थाना कल्याणपुर कानपुरनगर।

3—लख्मीचन्द्र निवासी आशाबाद थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

4—शिवा पुत्र पूरन सिंह निवासी नगला धर्म थाना करहल जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1—चोरी की 09 मोटर साइकिल।

2—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित कारतूस आदि।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना बुढाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नईम को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना महोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–2 जनपद सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामखेलावन को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना को0भिनगा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना को0भिनगा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बड़कऊ को 10 वर्ष कठोर कारावास व 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बिजनौर/थाना को0देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष का कारावास की सजा व 20 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे नगीना जनपद बिजनौर द्वारा थाना को0देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–महबूब 2–शाकिर को 10–10 वर्ष का कारावास व 20 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———